

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- 127 /1जी-FP/UK/ROAD/20119/2016 देहरादून: दिनांक: 11 जुलाई, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में सौनी—देवलीखेत—झ्योड़खाल—सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से पस्तौड़वार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

FP/UK/ROAD/20119/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-49 दिनांक 05-07-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,
फैल

(एस०टी०एस० लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी-FP/UK/ROAD/20119/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. अपर सचिव लोक निर्माण विभाग/पीएमजीएसवाई, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(एस०टी०एस० लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद अल्मोड़ा में सौनी—देवलीखेत—झ्योड़खाल—सिलोर महादेव मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से पस्तौड़वार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
FP/UK/ROAD/20119/2016

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु अल्मोड़ा वन प्रभाग में 0.495 है० आरक्षित वन भूमि, 1.1025 है० वन पंचायत भूमि एवं 0.6075 है० राजस्व वन भूमि अर्थात कुल 2.205 है० का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त योजना हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः प्रस्ताव 1.00 है० से अधिक क्षेत्रफल होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : ११ /०७/२०१६

स्थान : देहरादून

प्रमुख वन संस्करण का संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग
भारत सरकार कॉर्पोरेट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
प्राप्ति नं. 49 FP/UK/ROAD/2019/2016 दिनांक 05 जूलाई, 2016

प्रमुख

अपर प्रमुख वन संस्करण (कंज्ञीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय— जनपद—अलगोड़ा में सौनी—देवलीखेत—झोड़ाखाल—सिलोर महादेव मोटर मार्ग के किमी0 10 से
पस्तीड़ावार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक
निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(ऑनलाइन फाईल संख्या FP/UK/ROAD/2019/2016)

संलग्न— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र
संख्या—MISCH/RO/CP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

प्रहोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयाकृत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हाई कापी
की एक प्रांति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम,
1980 के अन्तर्गत स्थीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेखा)
प्रमुख वन संस्करण एवं नोडल अधिकारी

संख्या : 49 FP/UK/ROAD/2019/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0टी0एस0 लेखा)
प्रमुख वन संस्करण एवं नोडल अधिकारी